51/3/17 पत्रावली पेश हुई। वकील वादी SDO डीडवाना की तरफ से हेतु समन पेश किये जाने हेतु अन्तिम अवसर दिया जाकर मिसल दिनांक 7/6/17 को पेश हो।

7/5/17 सरकार एवं श्रीमान जिला कलक्टर [illegible] राजस्व [illegible] न्याय आपकी [illegible] बनाऊ [illegible] दिनांक 7/6/17 को पेश हो।

(एस.डी.एम.)
डीडवाना (नागौर)

7/6/17 पत्रावली आज मुकाम ग्राम पंचायत मुख्यालय पर राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वारा में पेश हुई। उभय पक्ष बावजूद तामिल के कोई उपस्थित नहीं आये। अतः पत्रावली बाबत तलबी दिनांक 19/9/17 को पेश हो।

उप खण्ड अधिकारी
सहायक कलक्टर डीडवाना

19/9/17 पत्रावली पेश हुई। वकील वादी गैर हाजिर। वादी व वकील वादी को मामला हल्का समन में चल रहा पर आवाज लगवाई गई परन्तु न तो वादी और न ही उनकी ओर से वकील उपस्थित आये। पत्रावली का अवलोकन करने पर पाया गया कि प्रतिवादीगण की तरफ से समन पेश किये जाने के कहे अपील किये जाने के बाद भी वकील वादी द्वारा समन पेश नहीं किये गये हैं इससे यह स्पष्ट जाहिर होता है कि वकील वादी वाद को आगे चलाने में इच्छुक नहीं है ऐसी स्थिति में वादी का वाद खुद परवी अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। मिसल फैसल शुमार बोर पाबिल पत्रावली बा नम्बर में दर्ज हो।

(राजेन्द्र कुमार डांगी)
RAS